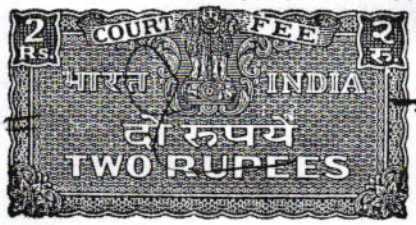

COURT FEE INDIA भारत 50 PAISE ५० पैसे

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES 2 Rs.

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

C.F.B.7.50

(130)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /96 अपील A 7-V/56

A. 1159 PBR/2004

क्रमांक 136-V

श्री पी०डी० गुप्ता 14.8.96

अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 14.8.96 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

1- रघुवीर सोनी पुत्र रामकिशन
2- रामलखन गुप्ता पुत्र गुलजारीलाल
3- रामकुमार शर्मा पुत्र लाल बहादुर
4- बाबूलाल पुत्र रामकिशन
5- महादेव प्रसाद पुत्र रामकिशन
6- निवासीगण रहावली- उवारी परगना लहार जिला भिण्ड म०प्र० ------ अपीलान्ट

14/8/96

विरुद्ध

1- फतेराम पुत्र रामजीत
2- सुधा कुमारी पत्नी फतेराम
निवासी रामपुरा थाना तहसील लहार
जिला भिण्ड (म०प्र०)
3- शासन मध्य प्रदेश
----- रिस्पान्डेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा श्री अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, ग्वालियर तारीखी 29-6-96 अन्तर्गत धारा 44 (2) मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

श्रीमान जी अपील अपीलान्ट निम्न कारणों द्वारा प्रस्तुत है :-

1- यहकि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं विधान के विपरीत होने से तथा पक्षपात पूर्ण होने से निरस्त किए

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक – अपील 1159–पीबीआर/04 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपीली अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 30/95–96/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 29–6–96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 237 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रावतपुरा सानी परगना मिहोना स्थित भूमि सर्वे नं. 656/1 रकबा 0.732 हैक्टर शासकीय कागजात में रास्ता अंकित है किंतु उक्त भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में नहीं हो रहा है अनावेदकगण उस पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं अतः भूमि को काबिल काश्त घोषित किया जाये । विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रतिवेदन प्राप्त कर उक्त आवेदन स्वीकार किया और भूमि को काबिल काश्त घोषित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्याालय में प्रथम अपील की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कलेक्टर का आदेश अधिकारिता रहित है वे नोईयत परिवर्तन की	

अपी. 1159-PBR/04 (निगरानी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकते हैं । प्रकरण में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया है व न आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी गई है । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय रास्ता दर्ज है उसे कृषि योग्य भूमि घोषित करने से अपीलांट का उनके खेतों पर आने जाने का रास्ता नहीं रहा है ।

4/ अनावेदकों को लिखित बहस पेश करने का समय दिया गया था किंतु उनकी ओर से लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण भूमि को काबिल काश्त घोषित किए जाने के संबंध में है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रकरण में विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन हुआ है तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/ठहराव संलग्न है । पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीण प्रतिवेदन से प्रमाणित है कि विवादित भूमि का उपयोग्य रास्ते के रूप में नहीं हो रहा है और वैकल्पिक रास्ता मुख्य मार्ग बन गया है । उक्त स्थिति को देखते हुए अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील को निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो ।

सदस्य